न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 53/2016

प्रार्थीगण
1– मोडाराम पुत्र हनाजी जाति मेघवाल
2– पुनाराम पुत्र लालाजी जाति मेघवाल
3– नाथाराम उर्फ नाथीया पुत्र वेलाजी मेधववाल
4– पकाराम उर्फ पकीया पुत्र वेलाजी मेघवाल
5– गोमाराम पुत्र ताराजी जाति माली
6– राजुराम पुत्र ताराजी जाति माली
7– ओटाराम पुत्र शंकरजी सुथार
8– प्रकाशराज पुत्र शंकरजी जाति सुथार
सभी आयु व्यस्क पेशा खेती निवासी
सिन्दरथ तहसील सिरोही जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,सिरोही
2– लाली पत्नि हनाजी जाति मेघवाल
3– मगाराम पुत्र हनाजी जाति मेघवाल
4– हंजा पुत्री हनाजी जाति मेघवाल
5– पाबु पुत्री हनाजी जाति मेघवाल
6– फालु पुत्री हनााजी जाति मेघवाल
7– सुबटी पुत्री शंकरजी सुथार
8– कमला पुत्री शंकरजी जाति सुथार
9– गटु पुत्री शंकरजी जाति सुथार
सभी आयु व्यस्क पेशा खेती निवासीयान सिंदर
तहसील सिरोही जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2– अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार
अनुपस्थित :–
अप्रार्थी संख्या 2 से 9 तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश होने से

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136,131,128 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956
वास्ते राजस्व रेकर्ड एवं नक्शा मे दुरूस्ती करवाने हेतु

निर्णय

दिनांक 23–10–20

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधि 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 तक का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का इस न्यायाल दिनांक 23–6–2016 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्राथीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से संक्षेप मे यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 के संयुक्त खा एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मय कुंआ ग्राम सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील व जिला सिरोही मे आया है जिसमे खसरा नंबरान राजस्व रेकर्ड मे निम्न प्रकार अंकित किये गये है :–

क्र.सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
1–	नया 269	979	3.4000 हैक्टेयर	चाही III
2–	पुराना 228	980	0.1600 हैक्टेयर	गै.मु. चा

कुल किता 2 कुल क्षैत्रफल 3.5600 हैक्टेयर

उक्त वर्णित कृषि भूमि के खसरा नंबर 979, 980 के भूप्रबन्ध के पहले के पुराने खसरा 946/723 रकबा 01 बीघा 947/723 रकबा 21 बीघा को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 के खाते दर्शाया गया है जबकि पुराने खसरा नंबर 949/742 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा के खातेदारी भूमि का इन्द्राज सैटलमेण्ट मे नही किया गया है तथा वर्तमान खसरा संख्या 980 रकबा 0.16 हैक्टर कुंआ को पुराने राजस्व तरमीम अनुसार वर्तमान सैटलमेण्ट के बाद जारी राजस्व नक्शे मे सही तरमीम नही किया गया है तथा गलत मौके की स्थिति भिन्न Signature Not Verified किया गया है। पुराने खसरा संख्या 949/742 र बीघा 07 बिस्वा की आराजी पर खातेदा एवं कब्जा काश्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता आवंटन की तारीख से Digitally signed by Hansmukh Kumar है लेकिन वर्तमान सैटलमेण्ट के दौरान उक्त खसरा आराजी को प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 2 की खातेदारी मे दर्ज कर नही दर्शाया गया है तथा ग त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरा Date: 2021.08.10 14:51:53 IST आबादी मे दर्शाया गया है जबकि उक्त खसर आराजी का इन्द्राज जमाबंदी Reason: SelfAttested –2054 तक किया हुआ प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या मौके पर जिस स्थान पर काबिज है तथा कुंआ मय आराजी पूर्व नक्शा मे तरमीम है उस स्थान पर वर्तमान सै मे पूर्ण व सही तरमीम नही कर गलत तरमीम किये जाने से पक्षकारान को काफी गंभीर समस्या का सामन पड रहा है जिससे रेकर्ड मे दुरूस्ती नही किये जाने से मौके पर कभी भी विवाद हो सकता है। नये सैटल दौरान पक्षकारान की आराजी के कुंआ को बिना किसी कारण के गलत स्थान पर तरमीम कर दर्शाया पपुराने खसरा संख्या 949/742 की वर्णित आराजी 02 बीघा 07 बिस्वा को भी पक्षकारान की खातेदारी मे नही किया गया है जो पुराने राजस्व रेकर्ड नक्शे मे जिस स्थान पर भूमि मय कुंआ को दर्शित किया गया थ स्थिति को बदलकर नक्शा मे दूसरे स्थान पर कुंआ को दर्शित करने एवं रकबा का इन्द्राज किया गया है जो

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

गलत व विधि विरूद्व है। बंदोवस्त के दौरान बंदोवस्त अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शे मे भी किये गये परिर्वतन मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार न कर त्रुटि कारित की है जिससे मौके की स्थिति व राजस्व रेकर्ड की स्थिति भिन्न भिन्न हो गई है एवं कब्जाधारी खातेदारान को काफी नुकसान एवं उन्हें विवाद मे उलझना पड रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 की खातेदारी के पुराने खसरा संख्या 949/742 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा की कृषि भूमि के उक्त वर्णित आराजी को आबादी मे जोड दिया है जिससे राजस्व रेकर्ड मे त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है जिसका बंदोवस्त अधिकारियों को कोई अधिकार नही रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 की वर्णित आराजी में कुंआ व खातेदारी आराजी के रकबा को कम करने एवं गलत दर्शित किया जो बदल कर गलत स्थान पर तरमीम करने व खातेदारी कम करने का अधिकार सैटलमेण्ट अधिकारियों को नही है। सैटलमेण्ट के दौरान हुई उक्त गलती को दुरूसत किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित होने के कारण प्रार्थीगण को ह आवेदन वास्ते दुरूस्ती कराने शुद्विकरण राजस्व रेकर्ड व मानचित्र तदनुसार सीमाज्ञान बाद जांच पत्थरगढी का प्रस्तुत करने का कारण बना है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सिन्दरथ मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 949/742 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा की वर्णित आराजी के वर्तमान सैटलमेण्ट के पश्चात राजस्व रेकर्ड मे गलत रूप से तरमीम है उसका बाद दुरूस्ती संशोधन के उक्त रकबा का इन्द्राज प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 के खातेदारी मे पुराने राजस्व रेकर्ड एवं नक्शे अनुसार वर्तमान रेकर्ड मे इन्द्राज कराने तथा खसरा संख्या वर्तमान 980 मे वर्णित कुंआ का सही तरमीम का इन्द्राज वास्तविक मौके की स्थिति अनुसार किये जाने एवं तदनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शे मे संशोधित करने बाद दुरूस्ती सीमाज्ञान के पत्थर गढी या तारबंदी के आदेश प्रदान कराना फरमावें ।

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात सूची अनुसार संलग्न दस्तावेजात प्रतियों मे ग्राम सिंदरथ पटवार हल्का धान्ता की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खाता नंबर 269 खसरा नंबर 979 व खसरा नंबर 980 किता 2 कुल रकबा 3.5600 हैक्टेयर पासबुक जमाबंदी संवत 2035 से 2051, मिलान क्षैत्रफल मोमीया ट्रेस नक्शा, मोमीया ट्रेस नक्शा प्रतियों का अवलोकन कर उस पर मनन करने के पश्चात प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ सहमत होने से दिनांक 23–6–2016 को दर्ज रजिस्टर कर अप्राथीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 9 के नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 16–8–2016 सुनवाई पेशी पर प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 27–9–2016 को वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार सुनवाई के दौरान हाजिर हुये तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 9 तक को नोटिस तामिली होने के बावजूद हाजिर नही होने से विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 तक को हाजिर होने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 तक स्वंय या इनके प्रतिनिधि/वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से 9 तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही हेतु दिनांक 27–1–2017 को न्यायालय मे रखी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। न्यायालय मे उक्त जवाब का अवलोकन कर जवाब पूर्ण तथ्यात्मक मोके एवं रेकर्ड के आधार पर मंगवाये जाने का आदेश दिया ।

दिनांक 20–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली रांज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व लोक अदालत केम्प सिन्दरथ मे पेश हुई जिस पर सुनवाई के दौरान तहसीलदार, सिरोही ने रेकर्ड के आधारित संशोधित जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे कथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का कथन रेकर्ड के आधार पर स्वीकार है। ग्राम सिन्दरथ के खसरा नंबर 1003 रकबा 5.21 हैक्टेयर भूमि किस्म गोचर रेकर्ड अनुसार दर्ज है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का कथन अक्षरक्षः स्वीकार है।यह सही है कि भूप्रबन्ध पूर्व खसरा नंबर 1003 का पुराना खसरा संख्या 742 था जिस मे से 2–07 बीघा अर्थात 0.38 हैक्टेयर के स्थान कमी आराजी निम्नानुसार दर्ज हुई है:–

पुराना खसरा नंबर	रकबा (बीघा)	किस्म	क्षैत्रफल हैक्टेयर मे	नया खसरा न[illegible] रकबा	
946/723	1.00	[illegible]	0.16	980	[illegible]
947/723	[illegible]	[illegible]	3.40	979	[illegible]
949	[illegible]	गोचर	0.38	—	[illegible]
	[illegible]		[illegible]		

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested

पुराने खसरा नंबर 949 पुराने खसरा नंबर 742 का भाग है पुराने 742 रकबा 29.16 बीघा व रकबा 2.07 बीघा का नया खसरा नंबर 1003 रकबा 5.21 बना है। कुंआ खसरा नंबर 980 मौके अनुसार तरमी[illegible] है। यह प्रार्थीगण की खातेदारी 3.94 के स्थान पर 3.56 ही दर्ज भूप्रबन्ध द्वारा की गई है। पुराने खसरा नंब[illegible] रकबा 0.38 हैक्टेयर भूमि खातेदारी बिना किसी आधार से कम हुई है। वर्तमान नक्शा खसरा नंबर 979 व 9[illegible] रकबा बरारी अनुसार रकबा 3.56 हैक्टेयर ही बनता है। उक्त 0.38 हैक्टेयर का कब्जा नक्शा संलग्न है। खस[illegible] 1003 की शेष भूमि पहाड है जो गोचर है जो त्रुटी सुधार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी

विचारण प्रकरण मे मूल प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136, 131 व 128 भू राजस्व अधिनियम पर वकील प्रार्थी त अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार की अंतिम बहस इस न्यायालय मे दिनांक 21–8–2019 को र गई जिस पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय मे हाजिर हो अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने अंतिम बहस फार्म नंबर 3 मे व दस्तावेजात प्रतियों मे जमाबंदी संवत 2051–2054, 2064–2067, 2068–2071, 2072–2075 जवाब स्टेट नक्शा म पुराना,नक्शा मार्क नया ,नक्शा कुंआ उक्त तरमीम मिला क्षेत्रफल मिरदावरी नकल जमाबंदी संवत 2047 से 20 ,2035 से 2041, 2043 से 2047 ,2028 से 2040 खसरा परिर्वतनशील ,मिसल बंदोवस्त की प्रतियॉ पेश करने शामिल मिसल की गई। दौराने बहस न्यायालय द्वारा अधिवक्तागण को नये पुराने नक्शे की प्रति एवं मिलान क्षेत्र का अभाव होने से पेश करने के लिये अवसर दिया गया जिस पर विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुन पेशी दिनांक 24–8–2020 को वकील प्रार्थी ने फार्म नं.3 के संलग्न मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहस सिरोही की पुरानी जमाबंदी संवत 2051 से 2054 खाता संख्या 263 खसरा नंबर 742 रकबा 29.16 बीघा, नक्शा नया तथा नक्शा ट्रेस पुराना की प्रमाणित प्रतियॉ पेश करने से शामिल मिसल की गई ।

दिनांक 24–8–2020 को विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर व प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या1 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) द्वारा आज ही अं बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) की अंतिम ब पर गहनतापूर्वक मनन किया। विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय उक्त वर्णित दस्तावेजात प्रतियों अवलोकन कर गंभीरता से मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व दस्तावेजात प्रतियों का विश्लेषण करने उपरान्त प्रकरण मे पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर वर्तमान स्थिति अनुसार तथ्यात्मक स्थिति इस प्रका कि पुराने खसरा नंबर 949 पुराने खसरा नंबर 742 का भाग है। नये व पुराने नक्शे के अवलोकन व मिलान से स्पष्ट है कि पुराना खसरा नंबर 946/723 रकबा 1 बीघा गै.मु. चाह का नया नंबर 980 रकबा 0.16 हैक्टर प्रार्थ व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 9 की खातेदारी में बदस्तुर दर्ज रिकार्ड है लेकिन उक्त कुएँ की स्थिति भूमिधारी की रि अनुसार भूप्रबंध द्वारा इतर स्थान पर दर्शाई गई है जिससे पक्षकारान को अनावश्यक रूप से विरोधाभास का स करना पड सकता है। यह भी स्पष्ट है कि पक्षकारान की खातेदारी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 949/742 र 2–07 बीघा भूमि पुराने नक्शे अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 9 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी ले भू प्रबंध के पश्चात उक्त खसरे को खसरा नंबर 1003 में मिलाया जाना जाहिर है जो कि वर्तमान राजस्व रिका ग्राम पंचायत के नाम गोचर दर्ज है। साथ ही पक्षकारान के साथ भूमिधारी द्वारा भी नये व पुराने खसरा नंबरान तुलनात्मक स्थिति का सही सही अंकन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर हो सके कि किस प्रका प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम रिकार्ड एवं नक्शे में दर्ज होने से वंचित 2–07 बीघा भूमि किस स्थान पर वास्त रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। नये व पुराने उपलब्ध नक्शे का मिलान करने से दोनों में पक्षकारान की अ का सही सही मिलान खसरे के अंकन अनुसार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 1003 के गोचर प्रति किस्म दर्ज रिकार्ड होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 से 9 के खातेदारी में शामिल करने के आदेश दिये नियमानुसार नहीं है।

अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्व किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का तहसील सिरोही मे प्रकरण मे उक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में स्थित गै.मु.चाह खसरा नंबर 980 रकबा 0.16 हैक्टर की स्थिति को पुराने नक्शे अनुसार दुरूस्त कर कार्यवाही की जाकर पालना प्रस्तुत की जावे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.अ
सिरोही

उपखण्ड अधिक
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 23–10–2020 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मु जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिक
सिरोही (राज.)

सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:53 IST
Reason: SelfAttested